

31/8/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मद सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हरीराम पुत्र पीतराम के नाम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। खातेदार का सही नाम हरिनारायण पुत्र पतराम है परन्तु जमाबन्दी बनाते समय घर के बोलते नाम के कारण वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम हरीराम पुत्र पीतराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम हरीराम पुत्र पीतराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के का सही नाम हरिनारायण पुत्र पतराम है की पुष्टि शपथ पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।



(बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 (बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
कंवर नांगल का	खाता सं0 198	हरीराम पुत्र पीतराम	हरिनारायण पुत्र पतराम

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
 निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना
 (बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)